(2)

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
सं० – 02/आ०वि० (Coaching) – 02/2019 - 573

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा, भा०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 25/02/2025

विषयः मिशन यू.पी.एस.सी. के अन्तर्गत यू.पी.एस.सी. की अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मिशन यू.पी.एस.सी. के अन्तर्गत यू.पी.एस.सी. की अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिये दिशानिर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अनुरोध है कि अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु० – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
24.02.25
(सुधीर बाड़ा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 02/आ०वि० (Coaching) – 02/2019 - 573 राँची, दिनांक – 25/02/2025

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.25
सरकार के संयुक्त सचिव।

(2)

**संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को "मिशन यू.पी.एस.सी." के तहत कोचिंग एवं ट्रेनिंग हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशा–निर्देश।**

1) **उद्देश्य :** अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वे इन परीक्षाओं में अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

2) **परीक्षाएं जिनके लिये कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा।

3) **आवेदक की अर्हता :**

I. आवेदक को झारखण्ड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस आशय का ऑनलाईन निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

II. आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो तथा उक्त के लिए झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र धारक हो।

III. आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 36 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञप्ति प्रकाशन वर्ष में 1 अगस्त की तिथि को की जायेगी।

IV. आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

V. ऐसे आवेदक जो वर्तमान में किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत हों, वे इस कार्य योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु पात्र नहीं होंगे। इस विषयक आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करना अनिवार्य होगा।

VI. चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 01 (एक) बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

4) **अभ्यर्थियों का चयन :**

I. आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर कोचिंग हेतु इच्छुक से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

II. मेधा सूची में प्रथम 100 आवेदन को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

III. मेधा सूची निम्नवत् गठित चयन समिति द्वारा तैयार की जाएगी :–

a. आदिवासी कल्याण आयुक्त — अध्यक्ष

b. निदेशक, डॉ० राम दयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची — सदस्य

c. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी — सदस्य

d. सचिव, झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम, राँची — सदस्य

IV. मेधा सूची का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा :–

- सर्वप्रथम यू.पी.एस.सी. सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में भाग लिए हुए आवेदक।
- तत्पश्चात् यू.पी.एस.सी. सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में भाग लिए हुए आवेदक।
- तत्पश्चात् जे.पी.एस.सी. सिविल सेवा परीक्षा की साक्षात्कार में भाग लिए हुए आवेदक।
- तत्पश्चात् जे.पी.एस.सी. सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में भाग लिए हुए आवेदक।
- उपर्युक्त आवेदनों की संख्या 100 से अधिक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप मे आवेदकों के स्नातक में प्राप्त प्रतिशत अंकों के योगफल के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।

5) **वित्तीय व्यवस्था :**

I. कोचिंग हेतु चयनित आवेदक द्वारा चयनित संस्थान की कोर्स/प्रोग्राम की वास्तविक फीस की जांचोपरांत ₹80000.00 (अस्सी हजार रूपये) मात्र की राशि का भुगतान आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा आवेदक को, Aadhar enabled DBT के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान ₹30000.00 (तीस हजार रूपये) की प्रथम किस्त एवं ₹50000.00 (पचास हजार रूपये) की द्वितीय किस्त के रूप में किया जाएगा।

II. आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा भुगतान हेतु प्रतिवेदित राशि के आधार पर विभाग द्वारा राशि आदिवासी कल्याण आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी।

6) **नोडल एजेन्सी एवं अनुश्रवण एजेन्सी** : दिशा–निर्देश के अनुपालन एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी एवं अनुश्रवण एजेन्सी आदिवासी कल्याण आयुक्त होंगे।

24.01.25

(सुधीर बाड़ा, भा.प्र.से.)
सरकार के संयुक्त सचिव।